Ms. Deepshikha Verma (Research Scholar)

Department of Pharmacy

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya,

Bilaspur (C.G.)

वेषय:- यू.जी.सी. (एम.फिल. / पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रकिया) विनियम, 2016 के प्रावधानानुसार पीएच0डी0 उपाधि के लिए पंजीयन।

विभागीय शोध समिति की बैठक दिनॉक 21.12.2022 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य

हेतु (विषय) फार्मेसी अध्ययनशाला—प्राकृतिक संसाधन विद्यापीठ में आपका पंजीयन सक्षम संस्तुति

उपरान्त निम्नानुसार किया जाता है:-शोध निर्देशक शोध का विषय शीर्षक Dr. K.P. Namdeo, Associate Professor, DEVELOPMENT OF SOME NOVEL MODIFIED CHEMICAL Department of Pharmacy, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.) ENTITIES FOR EFFECTIVE TEATMENT OF SICKEL CELL नामांकनकमांक पंजीयनतिथि DISEASE पंजीयनकमॉक शोध केन्द्र GGV/15/6203 21,12,2022 215263603 Department of Pharmacy, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya. Bilaspur (C.G.)

अप यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रकिया) विनियम, 2016 आप यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रकिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पीएच.डी.शोध कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय शोध विनियम 18 के नियमन R-11 केअनुसार शोध पीएच.डी.शोध कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय शोध विनियम 18 के नियमन R-11 केअनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छःमाही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक / RAC वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति /अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति /अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि निरंतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोषजनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो शोध-पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोध ग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक माह पूर्व छः प्रतियों में शोध ग्रन्थ का सार संक्षेप (समरी) शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवाय है।

कमशः